

242/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786636



न्यास पत्र

750

हमके प्रिय राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री राममूर्ति दादव निवासी आजादनगर पूर्वी सुस्तनपुर (निकट गणेश नैरेज हाल) पोस्ट-न्यू शिवपुरी काठौली शहर व जिला-गोरखपुर का है। हम मुक्ति जन्मदिन के कार्यों को सम्पादित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता आता हूँ। हम मुक्ति के मन मरिदाभक्त में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का विचार बना रहता हूँ। हम मुक्ति की शक्ति के द्वारा ही कि जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर समाज में सुख-शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के सम्बन्धीन व्यक्तियों के जीवन की सुख-सुख आधार-व्यवस्थाएँ, भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित वैदेशिकों को उनकी योग्यता के अनुक्रम तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान-प्रदान कर उन्हें राजस्व का अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-भाई, सामुदायिक मान-सत बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में स्वयं श्रेय, जाति-पंक्ति, धर्म-धर्म और सम्प्रदाय, ईश-गोश की भावना कहीं से भी बन्धक न हो। वैवाही व प्रवेश सम्बन्ध प्राप्त की अपने देश में आकर देश को बाहर उन्नत शिक्षा हेतु सहयोग उपलब्ध कराया जाय। हम मुक्ति विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहकर जन्मदिन के कार्यों का सम्पादन निरन्तर करता रहता हूँ। जन्मदिन के आवश्यक कार्यों को सम्पादित करने तथा उत्तरी स्तरीय को अधिकारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में समाज को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थानों एवं संस्थाओं का गठन किया जाता आवश्यक पाकर इनकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुक्ति द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/दस्तावेज

20/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786637

की स्थापना की जा रही है। हम मुक्ति द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिये 10000/- (दस हजार) रुपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे की इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-उपज सम्पत्ति की भी व्यवस्था करता रहूँगा। हम मुक्ति अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के लिये निम्नवत एक न्यासपत्र को भी विधायित किया जा रहा है-

1. यह कि हम मुक्ति द्वारा स्थापित न्यास का नाम "प्यारी देवी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट" होगा जिसके इस न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुक्ति द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय आज्ञादनगर पूर्वी सुस्तमपुर (निकट गणेश नैरेज हाल), पोस्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी, शहर व जिला-गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के लिये हमने अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के लिये ट्रस्ट मजदूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व शक्तियों का परीक्षण सुसमस्त अधिनियमों के अन्तर्गत कचरा जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्य का संचालन किया जा सकेगा।
3. यह कि हम मुक्ति ट्रस्ट मजदूर को सहायक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रथम प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुक्ति द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित शक्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट को ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, जो ट्रस्ट को ट्रस्टी नामित करता है। भविष्य में हम मुक्ति द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुक्ति द्वारा गठित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को समुचित रूप से न्यास मजदूर/ट्रस्ट मजदूर कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुक्ति द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है-

687-49 R. 7.717.107 & L. 1.40

R

THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]
[illegible]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786638

1. श्री उपवेश प्रसाद पुत्र श्री रामधुनी साधव निवासी राम व पोस्ट-काली जमदीशपुर जिला-सतलुकीरगढ़।
2. श्रीमती प्रेमलता साधव पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी अजयनगर पूर्वी, कस्तूरपुर पोस्ट-शु. सिवपुरी कालोनी, शहर व जिला-गोरखपुर।
3. श्री अशोक कुमार साधव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी अजयनगर पूर्वी, कस्तूरपुर पोस्ट-शु. सिवपुरी कालोनी, शहर व जिला-गोरखपुर।
4. श्रीमती राजलक्ष्मी साधव पत्नी श्री अशोक कुमार साधव निवासी अजयनगर पूर्वी, कस्तूरपुर पोस्ट-शु. सिवपुरी कालोनी, शहर व जिला-गोरखपुर।
5. श्री गीता साधव पत्नी श्री साधव साधव निवासी श्रीरतार पोस्ट-नैदिकल कलेज जिला-गोरखपुर।
6. श्री गंगा साधव पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी अजयनगर पूर्वी, कस्तूरपुर पोस्ट-शु. सिवपुरी कालोनी, शहर व जिला-गोरखपुर।

यहां कि हम मुक्ति द्वारा "श्यामी देवी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट" के नाम से विस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. समाज के जैविक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास हेतु संचालन की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनीयता हेतु का प्रचार-प्रसार करना और समाज में शान्ति प्रमुख एवं अन्य विविध एवं राज्यात्मक प्रवृत्तियों के लिए प्रवृत्तियों तथा प्रतिभासम्पन्न स्थायी धर्मों को देश-विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहायता करना।
3. स्व-सहायता, स्व-सुपरिचालन व धर्म-सहायता को प्रोत्साहित करना तथा एवं जल्दी कारगरिण विकास को शीघ्र प्रारम्भिक, सुविधाएं प्राप्त कराने, कार्य कराने, इन्फ्रामेन्ट (0-2) व स्नातकोत्तर स्तरों पर के विद्यार्थियों एवं महामात्रियों को स्थापना करना एवं संचालन करना।

(Signature)

42-409 5-7-77 1-4 2 C. C. Co
JHC

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
FBI - SAN FRANCISCO
MAY 10 1977



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786655

4. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय एवं शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
5. वर्तमान समय में विज्ञान के जल-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सुवन्त विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को विद्यार्थियों व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
6. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई चारा, सामुदायिक तालमेल, राष्ट्र-भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक सौंदर्य एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति श्रद्धा तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिये युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
7. लिंग-भेद, जाति-प्रीति, कुशा-धूल, धर्म और सम्प्रदाय, जैच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण/जागरूकता/निर्दोष जाति की व्यवस्था करना।
8. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- मेडिकल इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पीसीसी एल, आईआईएल में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था तथा उठाने होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
9. अनुसूचित जाति, जागजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिये स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
10. युवाओं को जागरूक बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बेचिंग, शीनिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, सॉलर एवं टीवी, ट्रेनिंग, टाइपिंग, साट्टीफ़ेड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मसाले उद्योग प्रशिक्षण,

120

43 - 44 - 22/10/1982 U 160
2/1

FOR THE DIRECTOR
GENERAL INVESTIGATIONS
DEPARTMENT OF JUSTICE



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786656

डाइटिंग प्रशिक्षण की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, खेल मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करना।

11. छात्र प्रसंस्करण तथा फल संस्कार का प्रशिक्षण देना।
12. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन करना।
13. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि।
14. महिला संस्कार गृह/विधवा पुनर्वास केंद्र की स्थापना करना। युद्धों के लिये विश्राम केंद्र अथवा पुनर्वास केंद्र की स्थापना करना।
15. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केंद्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलग शौचालय, विधिवत्ता घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केंद्र एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्धन करना।
16. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियाँ एवं जड़ी-बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) व अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना।
17. खादी ग्रामीण बोर्ड के निचले स्तर पर चलाने वाले हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को जन-जन तक पहुँचाना।
18. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
19. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके

09.17.2017


17

17.09.2017



६५-३०/११-११/१०७२ ६५ ६६

६५
६५-३०/११-११/१०७२
६५-३०-३





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786658

27. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, अौषालय, नाली, सड़क, खडनजा, विद्यु, पाक, शिविर एवं सदन निर्माण की व्यवस्था करना; सरकारी-गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान अल्पलागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।
28. वर्मी कम्पोस्ट एवं साप-सखी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाली हानि से लोगों को अलगत करना।
29. प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा ताकतल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना-जख्नी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, वीधर, असहाय, युद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिये मोबाइल इमरजेंसी एम्बुलेंस/वैन की व्यवस्था करना।
30. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा जिनके विभिन्न विभागों व एगोजीओसों के माध्यम से सहायता जा रहा है।
31. पंचायती-राज एवं जनशक्ती संस्कार के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके। इसके अतिरिक्त गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपचार करना।
32. किसी एगोजीओसों द्वारा दिये गये कर्तव्यों को भी न्याय के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा तथा किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी लक्ष अथवा एगोजीओसों, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनको क्रिया-कलापों में सहयोग देना।
33. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/संगठनों/कम्पनी/मुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य को पूर्ण करना।
34. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बंधों से सहायता के उद्देश्यों को पूर्ण के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।



494-20/ a. 2274/07-2 11 60

dl





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786659

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारु व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके समितियों व उपसमितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये कोषाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, भंडा इत्यादि प्रारंभ करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये सम्पत्तियों से मुक्त प्राप्त करना तथा भेदादी धन/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सहाय प्रदान करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में जर्निवलिता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किसी आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाधक गठित समिति को धन एवं उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, शोध केंद्रों व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आवरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं जो हित में व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर-सरकारी, विभागों से दान, उपहार,

166 - 2601/1072 W 80

di

STAMP





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786660

अनुदान, ऋण व अन्य शीतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्टमण्डल द्वारा संकल्पित कार्य को करना।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आदिकर अधिनियम के अन्तर्गत करना तथा उक्त अधिनियम की धारा-80 जी.जी. के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।
12. ट्रस्ट के द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करना।
13. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर-तकनीकी विद्यालयों एवं इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनिर्णायकी द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना।

8. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन-

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन विस्तारित रूप से किया जायेगा-

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुक्ति होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। किसी परिस्थितियों में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के पूर्व हम मुक्ति की मृत्यु हो जाये तो ट्रस्टी अशोक कुमार यादव अगले मुख्य ट्रस्टी होंगे। हम मुक्ति द्वारा नामित उक्त ट्रस्टी के न रहने पर उनके विधिवत उत्तराधिकारियों में से कोई एक ट्रस्ट के लिए हितैषी व्यक्ति को तत्कालीन ट्रस्टमण्डल के द्वारा ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी नियुक्त किया जायेगा।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से श्रेष्ठ से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

(Handwritten signature)

62-500 0 22/10/78 CE 66

86

विभागाध्यक्ष
सिवाजी नगर, पुणे
२००७





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786661

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगन को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्यभार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के अक्षर पर किया जायेगा। ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक व अध्यक्ष के आकस्मिक निधन होने पर उनकी के परिवार का विधिक उत्तराधिकारी चयनित होगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के अक्षर पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किसी परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितों की किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।
5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत जावरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से भूषक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितोक्ती व्यक्ति जो मुख्य ट्रस्टी के परिवार का ही होगा, को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से भूषक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में अजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था अथवा इन्टीथ्यूट की निवामक संस्था या विश्वविद्यालय परिनिधनावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन दौजना के प्रावधानों के अन्त में उसके प्रबन्ध सभितों का गठन किया जायेगा।

[Handwritten signature]

27/10/1978

10/10

Handwritten signature and a circular stamp.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786662

7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
 8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये कर्तव्यों व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित किसी व वाचवर्तों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।
- (ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन
1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संघालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारियों भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्ण अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
 2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।
7. ट्रस्ट के अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-
1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
 2. ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।
 3. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसकी समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा मुख्य मुख्य न्यासी/प्रबन्धक व अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।

100-4017 22/7/1972 W100
Dr

100-4017 22/7/1972 W100
Dr





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786663


4. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना तथा बैठकों की तिथि को अनुमोदित व स्थगित करना।
8. मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य
 1. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
 2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रायोजक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
 3. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों की तैयार करना/ कराना।
 4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित कर उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
 5. ट्रस्ट की वस्तु व अमल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल को सन्धा रखना।
 6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति की हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को इस्तफरित करना।
 7. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुकदमर नियुक्त करना।
 8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष दृष्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
 9. ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिवक्ता लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
 10. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना।
9. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था
 ट्रस्ट के कोष के सुचारु रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीय/मान्यता प्राप्त अभियुक्त बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ एवं अल्प राशियाँ जमा होंगी, ट्रस्ट के

Handwritten signature



200-000 22/12/1972

12





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- नाम खोले गये खाते का संभालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।
10. **ट्रस्ट के अधिलेख**
ट्रस्ट के अधिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।
 11. **ट्रस्ट की सम्पत्ति की व्यवस्था**
ट्रस्ट की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी—
 1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से ऋण, सहायता या भूदान इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक सम्बन्ध से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निम्नलिखित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित रूप से अधिकृत होगा।
 2. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों का संचालित करने के लिये शक्ति एवं मंजूर कर सकते या किसी बात का अग्रत सम्पत्तियों के अधिग्रहण व निष्कास के लिये नियमानुसार कार्यवाही कर सकते।
 3. ट्रस्ट की सम्पत्ति को लूटि पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा।
 4. ट्रस्ट व उसके जातीय संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
 5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विचार उपस्थित होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा परन्तु विवाद के लक्षित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में स्थित रहेगी।
 6. ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

42-4/11 27/12/12 C. 40
रक

31292

मास पत्र

10,000.00 100.00 50 150.00 2,200

प्याम की राशि योग प्रतिवर्षी सकल व प्रति मुक्तक योग कुल राशि

श्री प्रो राजेन्द्र प्रसाद
पुत्र श्री राम मुनि यादव

व्यवसाय शिक्षक

निवासी आजाद नगर पूर्वी लखनपुर शहर गोरखपुर

ने यह वेतनपत्र दृष्ट करवावेग में दिनांक 13/12/2012 समय 11:33AM
द्वारे निरूपण हेतु पेश किया।

निष्पादन लेखापत्र माद सुनने व समझने भजन
व्याप्ती

श्री प्रो राजेन्द्र प्रसाद
पुत्र श्री राम मुनि यादव
पेशा शिक्षक
निवासी आजाद नगर पूर्वी लखनपुर शहर गोरखपुर

ने निष्पादन व्योकार किया।

निवासी पहनाज श्री डा० गोपाल प्रसाद
पुत्र श्री शिवनाथ प्रसाद
पेशा शिक्षक

निवासी 301 हीरापुरी कालोनी विश्वविद्यालय परिसर शहर गोरखपुर

पुत्र श्री शिव रतन निवादा

पुत्र श्री मोहन प्रसाद

पेशा शिक्षक

निवासी धराका तह० सदर गोरखपुर

में की।

सकल व मह गोरखपुर के निवासी अंगुठे निष्पादन हेतु किये गये हैं।

पट्टाचान पैगकार्ट



निष्पादन अधिकारी के हस्ताक्षर

रमाकांत सिंह
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
13/12/2012



निष्पादन अधिकारी के हस्ताक्षर

रमाकांत सिंह
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
13/12/2012

शिवरतन निवादा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विकल्प किसी भी विधायक कार्यवाही का सम्बन्धन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी ऐसी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा जयवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
8. ट्रस्ट के अर्थीन स्थापित संस्थानों एवं गठित समितियों के परामर्शकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के समीप होगा। इसमें अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु विधायक कार्यवाहियों की भी नियुक्ति करेगा।
9. ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।
10. ट्रस्ट जो प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं पूर्ण के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा अन्तिम में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति जमा की जायेगी उसके बाकी भी यह शर्त लागू होगी।

५३-५५/१-२२/१/०१२ ६६६०

६५

न्यासी

Registration No.: 242

Year: 2012


Book No.: 4

0101 श्री राजेन्द्र प्रसाद

राम बुद्धि गढ़वा

आजाद नगर पूर्वी जलसंधारण शहर गोरख

मिशन



४५






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 786666

घोषणा

“प्यारी देवी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट” की तपस से हम प्रो० राजेन्द्र प्रसाद मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, सब व सम्पन्न कर स्वयं मन व चित्त से बिना किसी बाधरी दबाव के सोच-समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत् गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण:

1. 
 डा० मोहान प्रसाद सिंह, स्टाफ़ सिकरिता, गोरखपुर
 दिनांक 20/12/2012, गोरखपुर
 नि. नं० 10/10/12 गोरखपुर
2. शिवरतन मिश्रा, S/O श्री महेन्द्र प्रसाद मिश्रा, गोरखपुर
 दिनांक 13-12-2012

हस्ताक्षर मुख्य न्यायी




मजबूतकर्ता

आर्जेठू प्रसाद झा, सी. ए. ए. ए.
 ए. ए. ए. ए.
 ए. ए. ए. ए. गोरखपुर

214-2010-2012-1-90 E-80

श्री. राज. का. उ. मन्त्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली
पिन- 110 001

आज दिनांक 13/12/2012 को
बही सं. 4 विन्द सं. 164
पृष्ठ सं. 313 से 342 पर क्रमांक 242
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रमाकान्त सिंह
उप निबंधक द्वितीय
भोरखपुर
13/12/2012

